



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

ठिकाना सं ०८८ क्षेत्रीय इंटरनेशनल

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - ०५/१०/२०२४ से ०५/१०/२०२७

SECRETARY

ARIHANT SEWA SAMITI
BAZAR CHOWK, BHILAI-3 (C.G.)

2

MANAGER
..GS & QUEENS INTERNATIONAL SCHOOL
Padum Nagar, Bhilai-3, Durg (C.G.)

Social Studies

Social Interaction



Language Arts



Music

क्रमांक / 1851
प्रति,कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)
/मान्यता/20प्रबंधक,
वा.भा.१२ - पृष्ठ

दुर्ग, दिनांक २३.११.२५

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत मैं क्रमांक ०८८ एवं नं. क्रिएटर नं. ४८८ (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख ०५.१०.२०२४ से ०४.१०.२०२७ तक तीन बर्षों की अवधि के लिए कक्षा १३ त्रिमि से ०१.०१.२०२५ तक माध्यम ३०३ अधीन के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. मान्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के २५%..... प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर बर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. ऐरा ०३ में विर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (२) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्थिरिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबून न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
- एक** प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जावेगा।
- दो** किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- तीन** प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- चार** प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- पांच** अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छ:

सात
आठ

7.

8.

अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित व्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर व्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी व्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।

अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्विष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संतियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

: 2005

कुल निर्मित का क्षेत्रफल

: 20500 कर्मित

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

: ८१। वर्जिनि३

कक्षाओं की संख्या

: 2।

प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष

: ०५

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

: ०६ + ०६

पेयजल सुविधा

: १। ल०५

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

: —

बाधारहित पहुँच

: ६।

अध्यापन पठन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूल के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता :

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा यातत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक 104/205/09 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।

MRS & QUEENS INTERNATIONAL SCHOOL
Padum Nagar, Bhilai-3, Durg (C.G.)

SECRETARY
ARIHANT SEWA SAMITI
BAZAR CHOWK, BHILAI-3 (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
दुर्ग



चलो चलाएँ

शिक्षा गुणवत्ता आमियान

और बढ़ाएँ

हम अपना सम्मान



Social Studies

GS & QUEENS INTERNATIONAL SCHOOL
Padum Nagar, Bhilai-3, Durg (C.G.)



Language Arts



Social Interaction

Zig Galajig
SECRETARY
ARIHANT SEWA SAMITI
BAZAR CHOWK, BHILAI-3 (C.G.)



Music

